



ग्राम विकास अधिकारियों का एकमात्र संगठन  
(विभागीय मान्यता प्राप्त)

# राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी) जयपुर

जिला शाखा :-.....

Website- [www.gramsevak.org](http://www.gramsevak.org), E-Mail : [gramsevak.org@gmail.com](mailto:gramsevak.org@gmail.com), Mob. 9829092714

क्रमांक :-

दिनांक :-

—:: ज्ञापन ::—

माननीया मुख्यमंत्री महोदया,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीय मंत्री महोदय,  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,  
राजस्थान सरकार जयपुर।

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय ,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय,  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,  
राजस्थान सरकार जयपुर।

द्वारा :-

.....

विषय :- श्री सत्यप्रकाश चौधरी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ककरोलिया घाटी, पंचायत समिति कोटडी, भीलवाडा के साथ पंचायत समिति परिसर में मारपीट के प्रकरण में दर्ज पुलिस मुकदमा संख्या 0142/2018 में निष्पक्ष जाँच करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री सत्यप्रकाश चौधरी, नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ककरोलिया घाटी, पंचायत समिति कोटडी, जिला भीलवाडा दिनांक 10, जूलाई 2018 को साधारण सभा में भाग लेने हेतु पंचायत समिति कोटडी में उपस्थित हुए थे। साधारण सभा समाप्ति के पश्चात पंचायत समिति परिसर में ही श्री चौधरी के साथ श्री परमेश्वर जाट (शारीरिक शिक्षक) व अन्य (थाना कोटडी में दर्ज एफ.आई.आर. क्रमांक 0142/10.07.2018 में अंकित नामों) द्वारा गाली गलौच करते हुए जबरदस्त मारपीट की गई। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि मौके पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मारपीट कर्ताओं के भय एवं राजनैतिक संरक्षण के कारण बीच बचाव का प्रयास तक नहीं किया गया।

इस घटना से आक्रोशित भीलवाडा जिले के समस्त ग्राम विकास अधिकारी विगत 14 दिनों से लगातार कार्य बहिष्कार आन्दोलन कर रहे हैं एवं पंचायत समिति कोटडी के समस्त कार्मिक जिला परिषद कार्यालय में उपस्थिति दे रहे हैं। प्रशासन के नकारात्मक रवैये से क्षुब्ध होकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने निर्णय लिया है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करने के विरोध में 4 सूत्री मांग पत्र को लेकर प्रदेश व्यापी आन्दोलन किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी।

**प्रमुख मांगे:-**

1. मुकदमा संख्या 0142/2018 में नामजद समस्त अभियुक्तों को तुरन्त गिरफ्तार किया जावे।
2. मुकदमे का जाँच अधिकारी परिवर्तित कर जहाँजपुर विधान सभा क्षेत्र से बाहर के उपअधीक्षक स्तर के अधिकारी से जाँच करवाई जावे।
3. मुकदमे में मुख्य अभियुक्त शारिरिक शिक्षक परमेश्वर जाट जो कि फर्जी मेडीकल अवकाश पर है कि मेडिकल बोर्ड बैठाकर जाँच करवाई जावे
4. पंचायत समिति कोटडी में कर्मचारियों की सुरक्षार्थ पुलिस जाब्ता लगाया जावे।

**आन्दोलन के चरण :-**

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यक्रम
1.	26/07/2018	33 जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदया के नाम ज्ञापन।
2.	30/07/2018	अजमेर संभाग के चारों जिलों के समस्त ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार आन्दोलन।
3.	01/08/2018	प्रदेश के 295 पंचायत समितियों में कार्य बहिष्कार आन्दोलन।

सादर।

(.....)  
जिला मंत्री  
मो. ....

(.....)  
प्रदेश प्रतिनिधि  
मो. ....

(.....)  
जिलाध्यक्ष  
मो. ....